राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1284/2023

डॉ. सुनील अग्रवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, तिलक मार्ग, जयपुर (राज.)।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर, सेठी कॉलोनी, जयपुर (राज.)।
5. डॉ. राकेश कुमार मिश्रा, वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी, राजकीय औषधालय, चौड़ा रास्ता, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 19.04.2023
आदेश की दिनांक : 09.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री नितेश कुमार गर्ग, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 14.02.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को ईटावा, जिला कोटा पदस्थापित किया गया है, जबकि अपीलार्थी सिटी डिस्पेंसरी, चौडा रास्ता, जयपुर में कार्यग्रहण करने के लिए ईच्छुक था। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे उक्त स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करवाया गया। अपीलार्थी ने नीट पी.जी. 2021 परीक्षा दी, जिसमें आदेश दिनांक 28.06.2022 के द्वारा उसका चयन हुआ और पी.सी. पीएनडीटी कोर्स 2021 के लिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के लिए कार्यमुक्त किया गया और आदेश दिनांक 01.12.2022 के द्वारा उसे निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर कार्यग्रहण करने के निर्देश दिए गए। आलोच्य आदेश दिनांक 14.02.2023 के द्वारा

अपीलार्थी को सीएचसी ईटावा, जिला कोटा कार्यग्रहण करने के लिए आदेश दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर किशोरपुरा, जयपुर में कार्यरत है और राज्य सरकार के स्थानान्तरण नीति के अनुसार यदि पति–पत्नी दोनो राजकीय सेवा में कार्यरत हैं तो उनका स्थानान्तरण/पदस्थापन एक ही स्थान अथवा निकटस्थ स्थान पर किया जाना चाहिए। परंतु अपीलार्थी का पदस्थापन 200 कि.मी. दूर किया गया है, जो उक्त नीति के विपरीत है। अपीलार्थी के पिता जिनकी आयु 82 वर्ष तथा दिनांक 08.02.2023 को उनकी बायपास सर्जरी चिकित्सालय द्वारा की गई है, उनकी देखभाल हेतु परिवार में अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है। फिर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन कोटा जिले में किया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा आलोच्य आदेश दिनांक 14.02.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को आलोच्य आदेश जारी होने से पूर्व जहां पर वह कार्यरत था, उसी स्थान पर कार्यरत रखा जावें एवं समस्त वेतन लाभ प्रदान किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वर्तमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं जनहित में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for*

> *administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, परन्तु हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अपीलार्थी ने अपील में स्वयं का 200 कि.मी. दूर स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है, परन्तु इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)	**(शुचि शर्मा)**
सदस्य	**सदस्य**